परिवाद पत्र संख्या – 95सी/2020

राम लखन सहनी बनाम् सुबली सहनी

12.03.2021 : परिवादी की ओर से हाजिरी दी गई। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध परिवादी का परिवाद पत्र, परिवादी का शपथ पर ब्यान, परिवादी द्वारा वाद समर्थन में प्रस्तुत जांच साक्षी एवं अन्य तथ्यों का अवलोकन किया गया, अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख पर वाद में अग्रिम कार्रवाई हेतु पर्याप्त साक्ष्य एवं आधार उपलब्ध है।

परिवाद पत्र में नामित अभियुक्त क्रमशः 1. सुबली सहनी, 2. लेबली सहनी, 3. दीपक सहनी, 4. आशा देवी, 5. रौशन सहनी 6. तेतरी देवी के विरूद्ध भा0 दं0 वि0 की धारा – 323, 379, 354 के तहत प्रथम दृष्ट्या मामला बनता प्रतीत होता है। अतः समन निर्गत करने का आदेश दिया जाता है। परिवादी सात दिनों के अंदर समन की अपेक्षिताएं दाखिल करें, तत्पश्चात् कार्यालय उसे सही पाकर निर्गत करें।

वाद दिनांक 05.04.2021.वास्ते सम्मन की अपेक्षिताएं दाखिल करने हेतु।

लेखापित

ए0सी0जे0एम0–I

मंझौल, बेगूसराय